FDC.

			Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3** : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Economic Adviser or Additional Statistical Adviser, Directorate of Economics and Statistics —Chairman 2. Deputy Secretary/Under Secretary (Economic Administration) —Member 3. Chief Administrative Officer, Directorate of Economics & Statistics —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary not necessary.

[F. No. A-12018/3/2017-EA]

P.C. PANDE, Dy. Secy.
(Economic Administration Division)

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सा.का.नि. 225.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन और डेयरी विभाग मात्स्यिकी विकास आयुक्त समूह 'क' भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में मात्स्यिकी विकास आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, मात्स्यिकी विकास आयुक्त समूह 'क' पद भर्ती नियम, है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हतांए आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हतांए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या